Circular No. 511

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110 001

सं.5-1(34)/2008-पीडी

दिनांक: 1 अप्रैल, 2010
7

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: पूरक नियमावली एसआर-317-बी-5 में संशोधन होने के परिणामस्वरूप सीएसआईआर (आवास आबंटन) नियमावली, 1997 में संशोधन

महोदय,

मुझे सीएसआईआर (आवास आबंटन) नियमावली, 1997 और इस कार्यालय के दिनांक 3 अगस्त, 2009 के समसंख्यक परिपत्र का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि संपदा निदेशालय की दिनांक 21 अगस्त, 2009 (जीएसआर 128) की अधिसूचना सं.12035/1/98-पॉलिसी-II (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा अधिसूचित पूरक नियमावली एसआर-317-बी-5 में संशोधन होने के परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि नियम 3.1 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी कर्मचारी की आवास की टाइप की पात्रता के संबंध में सीएसआईआर (आवास आबंटन) नियमावली, 1997 के नियम 2.0 (j)(i) के अंतर्गत दी गई कर्मचारियों की प्राथमिकता की तारीख को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाए:

(क) परिषद के आवास के आबंटन के लिए किसी अधिकारी की पात्रता का निर्धारण परिषद में उस अधिकारी द्वारा धारित वर्तमान पद की ग्रेड पे के अनुसार किया जाएगा,

(ख) निम्नतर टाइप अर्थात टाइप-I से टाइप-IV के आवास आबंटन के संबंध में प्राथमिकता की तारीख परिषद/भारत सरकार, जैसा भी मामला हो, की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख होगी,

(ग) उच्चतर किस्म के आवास आबंटन हेतु परस्पर प्राथमिकता पर निम्नवत सिद्धांतों के आधार पर विचार किया जाएगा:
- (i) प्रथमतया संबंधित अधिकारी की ग्रेड पे;
- (ii) द्वितीयत: समान ग्रेड पे में प्राथमिकता की तारीख। इस मामले में प्राथमिकता की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख से आवेदक लगातार अपनी मौजूदा ग्रेड पे ले रहा है;
- (iii) उस मामले में जहां दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की प्राथमिकता की तारीख समान है, अधिकारियों की परस्पर प्राथमिकता का निर्धारण मूल वेतन के आधार पर किया जाएगा, अर्थात अधिक मूल वेतन लेने वाले अधिकारी प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठ होंगे
- (iv) उस मामले में जहां दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की प्राथमिकता की तारीख तथा मूल वेतन समान हैं, परिषद की सेवा में पहले कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, परस्पर प्राथमिकता के निर्धारण का अगला सिद्धांत होगा।
- (v) उस मामले में जहां दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की प्राथमिकता की तारीख, मूल वेतन और परिषद की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख समान हैं, वहां पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी को बाद में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी की तुलना में प्राथमिकता दी जाए।

(घ) क्लॉज (C) की सब-क्लॉज (ii) में निर्धारित दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता को निर्धारित करने का सिद्धांत 1 जनवरी, 2010 से लागू होगा।

इसके अतिरिक्त नियम 2.0(F) के अंतर्गत परिभाषित 'परिलब्धियों' को "ग्रेड पे" से आशोधित किया जाए जिससे अभिप्राय सीसीएस(संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 3(6) के अंतर्गत परिभाषित ग्रेड पे होगा।

इसी प्रकार से नियम 2.0(F), नियम (नियमों) 2.0(j) (iii), 2.0(j)(v), 4.7 और 11.8 के नीचे दी गई व्याख्या में दर्शाए गए 'परिलब्धियां' शब्द को 'ग्रेड पे' से बदल दिया जाए।

उक्त आशोधन 1 जनवरी, 2010 से लागू होंगे।

भवदीय,
1/4/2010
(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वित्त एंव लेखा अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव/ स्टाफ अधिकारी
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन) के निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सहायक
6. मुख्या सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सचिव
7. उप सचिव (के.का.)/वरिष्ठ उप सचिव(काम्पलैक्स)
8. प्रधान यूआरडीपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/पीपीडी
9. विधि सलाहकार, सीएसआईआर मुख्यालय के निजी सचिव
10. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी उपसचिव/अवरसचिव
11. प्रधान, आरऐबी, सीएसआईआर काम्पलैक्स
12. सचिव जेसीएम (स्टाफ साइड) भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान , उप्पल रोड हैदराबाद – 500007
13. आई. टी. प्रभाग – इस अनुरोध से कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

Circular No. 511

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. 5-1(34)/2008-PD

Dated 1st April, 2010

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Director/Heads of all
National Labs./Instts of CSIR

Sub: Amendment in CSIR (Residence Allotment) Rules, 1997 consequent upon amendment in Supplementary Rule SR-317-B-5.

Sir,

I am directed to invite a reference to CSIR (Residence Allotment) Rules, 1997 and this office circular of even number dated 3rd August, 2009 and to state that consequent upon amendment in Supplementary Rule SR-317-B-5 as notified vide Directorate of Estate notification No. 12035/1/98-Policy-II dated 21st August, 2009 (GSR 128) [copy enclosed], the competent authority has decided that the priority date of employees as given under Rule 2.0(j)(i) of CSIR (Residence Allotment) Rules, 1997 in relation to a type of residence to which he/she is eligible under the provisions of Rule 3.1 may be replaced as under:-

(a) the eligibility of an officer for allotment of Council accommodation shall be determined as per the Grade Pay of such officer in this present post held in the Council,

(b) the date of priority in respect of lower type accommodation i.e. Type-I to Type IV shall be the date of joining in the service of the Council/Government of India, as the case may be,

(c) the inter-se seniority for the higher type accommodation shall be considered on the basis of following principles, namely:

(i) firstly the Grade Pay of the officer;

(ii) secondly the priority date within the same Grade Pay. In this case the priority date shall be the date from which the applicant continuously drawing his existing Grade Pay;

(iii) where the priority date of two or more officers is the same, the inter-se seniority of the officers shall be determined on the basis of the basic pay i.e. the officers who have a higher pay shall be senior in the waiting list,

(iv) where the priority date and the basic pay of two or more officers are the same, the earlier date of joining in the service of the Council shall be the next determining principle of inter-se seniority,

(v) where the priority date, basic pay and date of joining in the service of the Council of two or more officers are the same, the officer retiring earlier may be accorded higher priority over the officer retiring later,

(d) the principle of determining the inter-se seniority of two or more officers as specified in sub-clause (ii) of clause (c) shall be implemented from the 1st January, 2010.

Further, 'Emoluments' as defined under Rule 2.0 (f) may be modified with "Grade Pay" which shall mean grade pay as defined under Rule 3 (6) of CCS(Revised Pay) Rules, 2008.

Similarly, the word 'emoluments' appearing in Explanation below Rule 2.0(f), Rule(s) 2.0 (j)(iii), 2.0(j)(v), 4.7 and 11.8 may be replaced with the word 'Grade Pay'.

The aforesaid modifications shall be implemented wef. 1st January, 2010.

Yours faithfully,

1/4/2010

(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhq@sirnetd.ernet.in

Copy to:

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.,
2. Sr. Dy. FA/Dy. FA/F&AO of all Labs./Instts.
3. PS to DG, CSIR
4. PS to JS (Admn.)
5. PA to FA, CSIR
6. PS to CVO, CSIR
7. Legal Adviser, CSIR
8. Under Secretary (CO)/Deputy Secretary (Complex)
9. Head, URDIP/IPMD/HRDC/PPD/ISTAD/USD/HRDG.
10. All Dy. Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
11. Head, RAB, CSIR Complex, Pusa, New Delhi.
12. Secretary, JCM (Staff Side), Indian Institute of Chemical Technology, Uppal Road, Hyderabad-500 007.
13. Head, IT Division with the request to make this circular available on the website.